कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की आम सभा की बैठक के अवसर पर माननीय अध्यक्ष का भाषण

———

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, आवासन और शहरी कार्य मंत्री एवं कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसीडेंट, माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी;

राज्य सभा के माननीय उप सभापति एवं कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी, श्री हरिवंश जी;

माननीय संसद सदस्य तथा कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की शासी परिषद के अन्य निर्वाचित सदस्य,

विशिष्ट अतिथिगण, विशिष्टजन, देवियो और सज्जनो,

———

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया (सीसीआई) की आम सभा की बैठक के इस महत्वपूर्ण अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस ऐतिहासिक क्लब का हिस्सा होना हम सभी के लिए गर्व और सम्मान की बात है ।

जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने और भारतीय संविधान सभा के सदस्यों को स्तरीय क्लब सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से फरवरी 1947 में इस क्लब की स्थापना की गई थी।

तब से लेकर आज तक संसद के पूर्व और वर्तमान सदस्यों के बीच संवाद के मंच के रूप में कार्य करते हुए कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ने लोकतंत्र की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कॉन्स्टीट्यूशन क्लब सदस्यों और कई अन्य संगठनों को जनता के साथ अपने विचार साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

इस सम्मानित मंच के सदस्य के रूप में, हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम अपने संविधान में निहित सिद्धांतों का पालन और संरक्षण करें, उन्हें बढ़ावा दें और एक बेहतर भारत के निर्माण की दिशा में अपना योगदान दें।

समय के साथ कई चीजें बदलती हैं। पिछले 75 वर्षों में यहां भी काफी परिवर्तन आया है और यह आधुनिक बना है। मुझे बताया गया है कि माननीय सदस्यों के लिए यहां विभिन्न नई सुविधाएं भी शुरू की गई हैं और आप अतिथि आवास सहित अब उन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जो कोविड महामारी के दौरान बंद हो गई थी।

इसके अलावा, अक्तूबर 2023 तक मावलंकर हॉल का नवीनीकरण कार्य पूरा किए जाने का भी प्रस्ताव है। इन उपलब्धियों के लिए मैं सीसीआई की शासी परिषद के निर्वाचित सदस्यों को उनके समर्पित प्रयासों के लिए बधाई देता हूं।

साथियो, संविधान किसी भी समाज का बुनियादी पहचान है। 'भारत का संविधान' विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव हैं। यह देश का सर्वोच्च कानून है जो न सिर्फ हमारे कार्यों और प्रयासों में लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है बल्कि समय के साथ बदलती हुई जनमानस की आशाओं व आकांक्षाओं को समाहित करने में भी पूरी तरह सक्षम है।

हमारे संस्थापकों ने देश के लिए शासन की एक अनूठी योजना तैयार की जिसके तहत राज्य के सभी अंग संविधान के प्रति जवाबदेह हैं। राज्य का प्रत्येक अंग – विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका- संविधान की देन है और संविधान के कारण ही उनका अस्तित्व है।

हमारी संवैधानिक योजना के तहत हर मामले में उद्देश्य, मंशा और गतिविधियों के क्षेत्रों को इस प्रकार से बताया गया है कि संदेह या भ्रम की संभावना बहुत कम है। अगर फिर भी कोई शंका हो तो उसे संविधान की कसौटी पर सुलझाना होता है।

माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि '*हमारा संविधान भारतीयों के लिए सम्मान और भारत की एकता का प्रतीक है.... यदि हम संविधान को केवल शासन का एक माध्यम*

समझेंगे तो हम उसके सामर्थ्य को सीमाओं में बांध देंगे...इस प्रकार लोगों को हमारे संविधान के हर पहलू को अच्छे से समझना आवश्यक है ।'

अतः संविधान के मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। कॉन्स्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय और समकालीन महत्व के मुद्दों पर चर्चा, वाद विवाद और कार्रवाई के लिए एक मंच प्रदान कर इन सिद्धांतों को और मजबूत किया है।

हम अपने सामूहिक प्रयासों से ही संविधान के सिद्धांतों को बनाए रख सकते हैं और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाकर जन कल्याण सुनिश्चित कर सकते हैं।

यहाँ यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में विधायी निकायों को शासन के केंद्र में रखते हुए इन्हें सुशासन और सामाजिक-आर्थिक बदलाव का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है और जनप्रतिनिधि इसमें एक अहम कड़ी हैं। उन पर हर समय ज़िम्मेदारी का भार होता है और इन जिम्मेदारियों का अपने कार्यों और अपने प्रयासों से निर्वहन का हमारा संकल्प होना चाहिए।

जनप्रतिनिधियों के लिए यह आवश्यक है कि वे विभिन्न संसदीय और विधायी प्रक्रियाओं और पद्धतियों का समुचित और इष्टतम उपयोग आम जन की भलाई और उनके कल्याण के लिए करें। इस संदर्भ में, हमें यह समझना होगा कि जबरन स्थगन की घटनाएं और व्यवधानों के कारण संसद के मूल्यवान समय की हानि होती है, जो वास्तव में, हम सभी के लिए चिंता का विषय है। विधायिकाओं के पास समय की कमी है और संसदीय कार्यवाहियों में व्यवधान की समस्या हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है।

लोकतंत्र में विभिन्न मुद्दों पर लोगों के अलग-अलग विचार होते हैं। वास्तव में, मैं इसे किसी भी जीवंत और विकासशील लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त मानता हूं। जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम परस्पर सम्मान और सहिष्णुता के साथ एक-दूसरे के मतों को स्वीकार करते हुए उनके विचारों का सम्मान करें।

समावेशिता और सह-अस्तित्व की भावना लोकतंत्र के मूल में है। इसलिए, असहमति को शालीनता के साथ और संसदीय साधनों की सीमा तथा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए व्यक्त किया जाना चाहिए।

संसदीय मर्यादा बनाए रखते हुए सदन को सुचारू रूप से चलाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसमें सभी माननीय सदस्यों का सहयोग महत्वपूर्ण है।

इस संबंध में, मुझे सरदार पटेल की वह बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि - "कुछ लोगों की लापरवाही एक जहाज को सरलता से डूबो सकती है, लेकिन यदि जहाज पर सवार सभी व्यक्ति हृदय से सहयोग करें, तो उसे सुरक्षित रूप से बंदरगाह पर लाया जा सकता है।"

इसलिए यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आपको संविधान में निहित मूल्यों यथा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता को ध्यान में रखना चाहिए। ये मूल्य हमारे लोकतंत्र का आधार हैं तथा हमें इनके अनुरूप ही कार्य करना चाहिए और निर्णय लेने चाहिए।

लोकतांत्रिक व्यवस्था के दशकों के अनुभव ने यह सिद्ध किया है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नियंत्रण और संतुलन होना ही किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली का मूलभूत आधार है, और इसी के बलबूते लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है।

यह काफी संतोष और हर्ष का क्षण है कि आज ये तीनों अंग एक दूसरे के महत्व और अधिकार क्षेत्र को स्वीकारते हुए परस्पर सामंजस्य, विश्वास तथा सद्भाव के साथ कार्य कर रहे हैं।

आज, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करना हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए बड़ी चुनौती है।

ऐसे समय में, यह संविधान ही है जो हमें भावी चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है। आप देखिए कि पिछले कुछ समय में कोविड-19 महामारी ने न केवल स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में भी कई चुनौतियां उत्पन्न कर वैश्विक स्तर पर हमें बुरी तरह प्रभावित किया है।

यह हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसा दूरदर्शी और प्रभावी संविधान प्राप्त हुआ है जिसमें स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल और आर्थिक संकट से निपटने के लिए हर तरह के प्रावधान किये गए हैं। इसलिए, जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, आइए हम अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दुहराएं और उन्हें साकार करने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लें।

साथियो, चर्चा और संवाद स्वस्थ और सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से सर्वसम्मति बनाने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

स्वतंत्र और सार्थक चर्चा के द्वारा हम एक दूसरे के दृष्टिकोणों को, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उसके प्रति हमारा सम्मान भी बढ़ता है।

मुझे खुशी है कि कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं ने जनप्रतिनिधियों और आम जनता को सदन में होने वाली औपचारिक चर्चा/वाद-विवाद से अलग हटकर एक सार्थक चर्चा में शामिल होने का अवसर प्रदान किया है।

मुझे विश्वास है कि यह परंपरा आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगी। क्लब के सदस्य के रूप में हम सभी का यह प्रयास और लक्ष्य हो कि हम एक ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में काम करें जो समावेशी, न्यायपूर्ण और समतामूलक हो।

जहां प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र की प्रगति की दिशा में प्रयास करने और अपना योगदान देने का अवसर मिले।

मुझे पूरा विश्वास है कि इस मंच के माध्यम से हम यहां जो भी अपने अनुभव, अपने नवीन विचार साझा करेंगे, उससे संवाद की यह परंपरा समृद्ध होगी और इस चर्चा को सही मायने में सार्थक बनाने में मदद मिलेगी।

इसी कामना के साथ कि सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए उन्हें और मजबूत करने में अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा, मैं आप सभी को आपके भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।

———